

कॉन्ट्रेक्ट प्रशिक्षक चयन हेतु विज्ञप्ति

Covid टास्क फोर्स समिति उत्तरकाशी की स्वीकृति/संस्तुति पर जिला खेल कार्यालय, उत्तरकाशी द्वारा जिला योजना वर्ष-2021-2022 के अन्तर्गत 15 विभिन्न खेलों के स्थानीय प्रशिक्षण शिविर संचालन के लिए सम्भावित 29 कॉन्ट्रेक्ट प्रशिक्षकों के चयन हेतु आवेदन पत्र आमन्त्रित किये जाते हैं। आवेदकों की आयु दिनांक 05 अप्रैल, 2021 को 21 वर्ष से कम एवं दिनांक 15 फरवरी, 2022 को 70 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। समस्त आवेदन दिनांक 05 अप्रैल, 2021 तक पंजीकृत डाक/बाईहैंण्ड द्वारा सांय 05.00 बजे तक किसी भी कार्यदिवस पर जिला खेल कार्यालय, स्पोर्ट्स स्टेडियम, मनेरा, उत्तरकाशी को अनिवार्य रूप से प्रेषित करें। इसके बाद कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किए जायेंगे। आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि, विज्ञप्ति प्रकाशन तिथि से दिनांक 05 अप्रैल, 2021 की सांय 5.00 बजे तक है। निर्धारित तिथि एवं समय पर प्राप्त समस्त आवेदकों के अभिलेखों का निरीक्षण/परीक्षण चयन समिति द्वारा दिनांक 07 अप्रैल, 2021 को प्रातः 10.00 बजे किया जायेगा। नियुक्ति/चयन की शर्तें एवं आवेदन पत्र जिला खेल कार्यालय, मनेरा, उत्तरकाशी / uttarkashi.nic.in (department/sports) या कार्यालय से निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु दुरभाष संख्या 9837950068, 9411725263, 9411798098 या ईमेल आई.डी. sportsofficeruki@gmail.com पर सर्मक करें।

(मयूर दीक्षित)
जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।



जिला खेल कार्यालय, स्पोर्ट्स स्टेडियम, मनेरा
उत्तरकाशी

Email Id- sportsofficeruki@gmail.com
Phone No. 9412078253

संख्या: 941/का.प्रशि.नि.पत्रा./20-21(21-22)/उ0का0/दिनांक 03 मार्च, 2021



प्रतिलिपि:—निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव खेल, महोदय, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. जिलाधिकारी महोदय, उत्तरकाशी।
3. निदेशक महोदय, खेल निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून।
4. मुख्य विकास अधिकारी, महोदय, उत्तरकाशी।
6. जिला सूचना अधिकारी, उत्तरकाशी।
7. डी.आई.ओ. एन.आई.सी. उत्तरकाशी को इस आशय के साथ प्रेषित की कृपया उक्त सूचना/नियुक्ति/चयन की शर्तें एवं आवेदन पत्र निःशुल्क uttarkashi.nic.in पर अपलोड करने का कष्ट करें।
8. संवाददाता अमर उजाला एवं दैनिक जागरण उत्तरकाशी को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि, उक्त सूचना अपने समाचार पत्रों में न्यूनतम शासकीय दरों पर 08x08 Cm. साईज में प्रकाशित करवाने तथा बिल दो प्रतियों में जिला सूचनाधिकारी, उत्तरकाशी द्वारा सत्यापित कर अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्रेषित करने का कष्ट करें।
9. कार्यालय नोटिस बोर्ड।

(निधि)
प्र0जिला क्रीड़ाधिकारी,
उत्तरकाशी।

कान्ट्रेक्ट प्रशिक्षक चयन हेतु विज्ञप्ति

संख्या: 941 / का.प्रशि.नि.पत्रा. / 2020-2021 (2021-2022) / उ0का0 / दिनांक 03 मार्च, 2021

Covid टास्क फोर्स समिति उत्तरकाशी की स्वीकृति / संस्तुति पर जिला खेल कार्यालय, उत्तरकाशी द्वारा जिला योजना वर्ष-2021-2022 के अन्तर्गत 15 विभिन्न खेलों के स्थानीय प्रशिक्षण शिविर संचालन हेतु सम्भावित 29 कॉन्ट्रेक्ट प्रशिक्षकों के चयन हेतु आवेदन पत्र आमन्त्रित किये जाते हैं।

आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि:- विज्ञप्ति प्रकाशन तिथि से दिनांक 05 अप्रैल, 2020, सांय 05.00 बजे तक		
अभिलेखों का निरीक्षण/परीक्षण स्थान मनेरा स्टेडियम, उत्तरकाशी दिनांक 07 अप्रैल, 2020, प्रातः 10.00 बजे से।		
क्र.सं.	स्थानीय प्रशिक्षण शिविर/खेल के नाम एवं संचालन का स्थान (कुल 29 पद)	
1	ब्लॉक भटवाड़ी (स्पोर्ट्स स्टेडियम मनेरा) में एथलेटिक्स, फुटबॉल, हैण्डबॉल, क्रिकेट, वालीबॉल, बॉक्सिंग, हॉकी, बैडमिन्टन, खो-खो, किक बॉक्सिंग, बेसबॉल एवं कबड्डी। (12 पद)	
2	ब्लॉक डुण्डा (बैडमिन्टन हॉल) में, बैडमिन्टन एवं टी0टी0। (02 पद)	
3	ब्लॉक चिन्यालीसौड़ (रा0ई0का0 चिन्यालीसौड़) में, नेटबॉल, हैण्डबॉल एवं खो-खो। (03 पद)	
4	ब्लॉक नौगाँव (रा0ई0का0 नौगाँव/हैलीपैड़ नौगाँव) में एथलेटिक्स, वालीबॉल, कबड्डी एवं खो-खो। (04 पद)	
5	ब्लॉक पुरोला (रा0ई0का0 पुरोला/मिनी स्टेडियम पुरोला) में एथलेटिक्स, वालीबॉल, कबड्डी एवं खो-खो। (04 पद)	
6	ब्लॉक मोरी (रा0ई0का0 मोरी) में एथलेटिक्स, वालीबॉल, कबड्डी एवं खो-खो। (04 पद)	
क्र.सं.	कॉन्ट्रेक्ट प्रशिक्षको की श्रेणी	मानदेय प्रतिमाह (रु0 में)
1	1. अर्जुन/दोणाचार्य पुरस्कार प्राप्तकर्ता खिलाड़ी/प्रशिक्षक अथवा 2. ओलम्पिक/वर्ल्ड कप में प्रतिभाग कर चुके खिलाड़ी/प्रशिक्षक अथवा 3. एशियाई/कॉमनवेल्थ/एफ्रो एशियन/सैफ गोम्स में पदक विजेता एवं एन.आई.एस. से नियमित कोर्स का प्रशिक्षण डिप्लोमाधारी खिलाड़ी/प्रशिक्षक	20000.00
2	1. एशियाई/कॉमन वेल्थ/एफ्रो एशियन/सैफ गोम्स में पदक विजेता खिलाड़ी/प्रशिक्षक या 2. ऐसे खिलाड़ी/प्रशिक्षक जिन्होंने एशियाई, कॉमनवेल्थ एवं एफ्रो एशियन प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया हो एवं एन.आई.एस. से नियमित कोर्स का प्रशिक्षण डिप्लोमाधारी खिलाड़ी/प्रशिक्षक	17000.00
3	1. ऐसे खिलाड़ी/प्रशिक्षक जिन्होंने एशियाई, कॉमनवेल्थ/एफ्रो एशियन/सैफ गोम्स प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया हो या अन्य अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग किया हो या 2. एन.आई.एस. से नियमित कोर्स का प्रशिक्षण डिप्लोमाधारी खिलाड़ी/प्रशिक्षक	14000.00
4	ऐसे खिलाड़ी/प्रशिक्षक जिन्होंने सीनियर नेशनल में पदक प्राप्त किया हो	10000.00
5	सीनियर वर्ग नेशनल में प्रतिभाग/अखिल भारतीय अन्तर्विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में पदक प्राप्तकर्ता/अखिल भारतीय प्रतियोगिता में पदक प्राप्तकर्ता खिलाड़ी/प्रशिक्षक	7000.00
6	अखिल भारतीय अन्तर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में प्रतिभाग/सीनियर नॉथ जोन में प्रतिभाग/जूनियर नेशनल में पदक/सब जूनियर में पदक/नेशनल स्कूल में स्कूल गोम्स में पदक/एन.आई.एस. सर्टिफिकेट कोर्स/भारतीय सेवा में सर्विसेज/कमाण्ड/अखिल भारतीय पुलिस गोम्स में प्राप्तकर्ता खिलाड़ी/प्रशिक्षक	5000.00

- आवेदको की आयु दिनांक 05 अप्रैल, 2021 को 21 वर्ष से कम एवं दिनांक 15 फरवरी, 2022 को 70 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- समस्त आवेदन दिनांक 05 अप्रैल, 2021 तक पंजीकृत डाक/बाईहैंड द्वारा सांय 05.00 बजे तक जिला खेल कार्यालय, स्पोर्ट्स स्टेडियम, मनेरा, उत्तरकाशी में अनिवार्य रूप से प्रेषित करें। इसके बाद कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किए जायेंगे। एक आवेदक केवल एक ही खेल (उक्त खेलों में ही)/स्थान हेतु आवेदन कर सकता है। एक से अधिक आवेदन करने पर सम्बन्धित अभ्यर्थी के समस्त आवेदन निरस्त कर दिये जायेंगे। जिस पर कोई विचार नहीं होगा।

- नियुक्ति/चयन की शर्तें एवं आवेदन पत्र uttarkashi.nic.in (department/sports) या किसी भी कार्य दिवस पर कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं।
- प्रेषित आवेदन-पत्र के साथ मुख्य आवेदन पत्र वाले लिफाफे पर "कॉन्ट्रैक्ट प्रशिक्षक हेतु आवेदन पत्र" लिखा होना अनिवार्य है।
- दिनांक 07 अप्रैल, 2021 को प्रातः 10.00 बजे से प्राप्त सभी आवेदकों के अभिलेखों का निरीक्षण/परीक्षण चयन समिति द्वारा जिला खेल कार्यालय, स्पोर्ट्स स्टेडियम, मनेरा, उत्तरकाशी में किया जायेगा।
- आवेदक अपने समस्त खेल एवं शैक्षिक तथा प्रशिक्षण संचालन का अनुभव आदि अभिलेख की स्वःप्रमाणित छायाप्रति आवेदन-पत्र के साथ सलग्न करें।
- पूर्ण रूप से न भरा/हस्ताक्षर न होने पर आवेदन-पत्र अस्वीकार कर दिया जायेगा। जिसकी जिम्मेदारी आवेदक की होगी।
- यह नियुक्ति पूर्ण रूप से अस्थाई/कॉन्ट्रैक्ट है जो कि केवल 15 अप्रैल, 2021 से 15 फरवरी, 2022 तक ही मान्य होगी। विज्ञप्ति को बिना कारण बताये निरस्त या आंशिक संशोधन करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास निहित होगा। बजट की उपलब्धता के अनुसार कभी भी स्थानीय प्रशिक्षण शिविरों का संचालन बंद किया जा सकता है।
- चयनित कॉन्ट्रैक्ट प्रशिक्षकों को उक्त सभी ब्लॉक एवं स्पोर्ट्स स्टेडियम, मनेरा, उत्तरकाशी में स्थानीय प्रशिक्षण शिविर का संचालन करना होगा।
- विज्ञप्ति को बिना कारण बताये निरस्त या आंशिक संशोधन करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास निहित होगा।
- वर्ष 2021-2022 में समय-समय पर जिला क्रीड़ाधिकारी/प्रशिक्षण प्रभारी द्वारा स्थानीय खेल प्रशिक्षण शिविरों की निगरानी कर, प्रत्येक तिमाही (Quarterly) में खेल प्रदर्शन की समीक्षा की जायेगी।
- जिलाधिकारी महोदय, उत्तरकाशी के आदेश दिनांक 27 मई, 2019 एवं निदेशक खेल, खेल निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र संख्या-112/प्रशिक्षण शिविर पत्रा0/2016-17/दे0दून/दिनांक 03 मई, 2018 के क्रम में चयनित कॉन्ट्रैक्ट प्रशिक्षकों को निर्धारित समय पर अपने-अपने खेल से सम्बन्धित खेल उपलब्धियाँ देनी होगी अन्यथा उनका कॉन्ट्रैक्ट/प्रशिक्षण शिविर समाप्त कर दिया जायेगा।
- उपरोक्त निर्धारित मानदेय 30 कार्य दिवस हेतु है। यदि किसी कार्य दिवस में कोई कॉन्ट्रैक्ट प्रशिक्षक अनुपस्थित रहता है तो उसका उस दिन का मानदेय नहीं प्रदान किया जायेगा।
- आवेदक प्रशिक्षक द्वारा खेल विभाग के मानकों के अन्तर्गत निर्धारित समयानुसार प्रातः एवं सायं प्रतिदिन नियमित रूप से प्रशिक्षण देना अनिवार्य है। यदि कोई प्रशिक्षक निर्धारित समय में प्रातः एवं सायं प्रशिक्षण स्थल में अनुपस्थित पाया जाता है तथा प्रशिक्षण में पूर्ण समय नहीं देता है तो उसकी नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी तथा सम्बन्धित प्रशिक्षक के स्थान पर द्वितीय वरीयता वाले प्रशिक्षक की नियुक्ति कर दी जायेगी। प्रशिक्षण स्थल से अनुपस्थित होने/पाये जाने पर एवं सेवा-शर्तों अथवा विभाग के विपरीत कार्य करने पर तत्काल प्रशिक्षण सेवाओं से मुक्त कर दिया जायेगा, जिस हेतु कोई दावा मान्य नहीं होगा।
- चयनित कॉन्ट्रैक्ट प्रशिक्षक को नियुक्ति के समय अपने सभी अभिलेखों को मूल रूप से कार्यालय में प्रस्तुत करने होंगे। अभिलेखों के सत्यापन उपरान्त की नियुक्ति मान्य होगी।
- प्रशिक्षण शिविर का संचालन में शासन द्वारा समय-समय पर जारी कोविड गाइडलाइन का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।
- आवेदक प्रशिक्षक ने खेल विभाग द्वारा आयोजित खेल प्रशिक्षण शिविर एवं प्रतियोगिताओं के संचालन के साथ-2 विभाग की उज्ज्वल गरिमा के लिये कार्य करना होगा। कॉन्ट्रैक्ट खेल प्रशिक्षकों को विभाग द्वारा समय-2 पर राष्ट्रीय पर्वो एवं अन्य तिथियों में आयोजित होने वाली जिला/राज्य स्तरीय प्रतियोगिता/विशेष शिविर में सहयोग देने हेतु आयोजन अवधि में उपस्थित होना अनिवार्य होगा। अनुपस्थित रहने पर सम्बन्धित कॉन्ट्रैक्ट प्रशिक्षक को प्रशिक्षण सेवाओं से हटा दिया जायेगा।
- चयनित कॉन्ट्रैक्ट प्रशिक्षक को खेल प्रशिक्षण की सेवा शर्तों आदि के सम्बन्ध में एक अनुबन्ध पत्र भी प्रस्तुत करना होगा, जिसमें जिलाधिकारी महोदय, उत्तरकाशी के आदेश दिनांक 27 मई, 2019 एवं निदेशक खेल, खेल निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र संख्या-112/प्रशिक्षण शिविर पत्रा0/2016-17/दे0दून/दिनांक 03 मई, 2018 द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों का पूर्ण उल्लेख किया जायेगा।
- स्थानीय प्रशिक्षण शिविर का संचालन समय (शीतकालीन (अक्टूबर से फरवरी):-प्रातःकाल 6.00 बजे से 8.00 बजे तक एवं सायंकाल 3.00 बजे से 6.00 बजे तक। (ग्रीष्मकालीन (मार्च से सितम्बर) :- प्रातःकाल 5:30 बजे से 7:30 बजे तक एवं सायंकाल 4:30 बजे से 7.00 बजे तक।
- सरकारी अथवा अर्द्धसरकारी संस्थाओं/कार्यालय/स्कूल आदि में कार्य करने वाले कर्मचारियों को कॉन्ट्रैक्ट प्रशिक्षक के रूप में चयनित नहीं किया जायेगा।

- स्थानीय प्रशिक्षण शिविर का संचालन में Standard Operating Procedure For Resumption Of Sports Activities के अन्तर्गत Covid टास्क फोर्स समिति,उत्तरकाशी द्वारा जारी सभी दिशा निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा।
- स्थानीय प्रशिक्षण शिविर का संचालन में Standard Operating Procedure For Resumption Of Sports Activities के अन्तर्गत जिलाधिकारी महोदय,उत्तरकाशी के कार्यालय ज्ञाप संख्या:-767/को0टा0फो0ग0पत्रा0(खेल विभाग)/2020-21/उ.का./दिनांक 15 दिसम्बर,2020 एवं Covid टास्क फोर्स समिति,उत्तरकाशी के कार्यालय ज्ञाप संख्या:-768/को0टा0फो0ग0पत्रा0(खेल विभाग)/2020-21/उ.का./दिनांक 15 दिसम्बर,2020 एवं कार्यवृत्त/पत्र संख्या:-940/को0टा0फो0ग0पत्रा0(खेल विभाग)/2020-21/उ.का./दिनांक 02 मार्च,2021 में उल्लेखित सभी शर्तें एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा।
- प्राइवेट संस्थाओं/कार्यालय/स्कूल आदि में कार्यरत कोई अभ्यर्थीयो को आवेदन के साथ एन.ओ.सी. लगाना अनिवार्य है अन्यथा उनका आवेदन निरस्त समझा जायेगा। सम्बन्धित नियुक्त का0 प्रशिक्षक को नियमित रूप से प्रशिक्षण स्थल में उक्त उल्लिखित समयानुसार प्रातः एवं सायंकालीन समय में पूर्ण अवधि में प्रशिक्षण देने के साथ-2 विभाग द्वारा वर्षभर समय-समय पर आयोजित प्रतियोगिता/विशेष प्रशिक्षण शिविर में भी पूर्ण दिवस उपस्थित रहकर सहयोग करना अनिवार्य है।
- कॉन्ट्रेक्ट प्रशिक्षकों का चयन शासनादेश संख्या:-145/VI-2/2014-1(11)/2006 दिनांक 26 नवम्बर, 2014, शासनादेश संख्या:-456/VI/2015 -1(11)/2006 /खेलकूद अनुभाग/देहरादून: दिनांक 11 जनवरी,2016 एवं शासनादेश संख्या:-297/VI/2018-1(11)/2006/खेलकूद/देहरादून,दिनांक 24 जुलाई,2018 के नियमानुसार एवं चयन समिति के द्वारा किया जायेगा, चयन से सम्बन्धित किसी भी विवाद पर अन्तिम निर्णय चयन समिति का होगा।
- चयनित कॉन्ट्रेक्ट प्रशिक्षकों की संख्या एवं दिये जाने वाला मानदेय घट-बढ़ सकता है।
- निदेशक खेल,खेल निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र संख्या-169/वा0जि0यो0/2017-18/ दे0दून/दिनांक 15 मई,2017 के क्रम में विभागीय अवस्थापना सुविधाओं से इतर प्रशिक्षण शिविर का संचालन जिले स्तर पर स्वीकृतिपरान्त निदेशालय स्तर से भी स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त किया जायेगा।
- खेल निदेशालय,उत्तराखण्ड,देहरादून के आदेश संख्या-176/विविध पत्रा0/2017-18/दे0दून/ दिनांक 22 मई,2018 के अनुपालन में सभी कॉन्ट्रेक्ट प्रशिक्षकों की उपस्थिति बायोमैट्रिक मशीन के माध्यम से की जायेगी (कोविड की स्थिति के अनुसार) तथा उपस्थिती के अनुसार ही मानदेय का भुगतान किया जायेगा।
- ब्लॉक चिन्यालीसौड़,नौगाँव,पुरोला एवं मोरी में सम्बन्धित प्रधानाचार्य/अधिकारी/कार्यालय की अनापत्ति प्रामाण-पत्र के उपरान्त की स्थानीय प्रशिक्षण शिविरों का संचालन किया जायेगा।
- खेल निदेशालय,उत्तराखण्ड,देहरादून के आदेश संख्या-1075/प्रशि0शि0आ0 पत्रा0/2016-17/दे0दून/दिनांक 22 दिसम्बर,2016 के अनुपालन में कार्यालय को ससमय स्थानीय प्रशिक्षण शिविरों की मासिक/त्रैमासिक/वार्षिक प्रगति रिपोर्ट प्रत्येक माह की 01 तारिका को कार्यालय को उपलब्ध कराये तथा उक्त आदेश के अनुपालन में खेलों में प्रशिक्षणार्थियों की निर्धारित न्यूनतम संख्या से कम होने पर संबंधित खेल का प्रशिक्षण शिविर बंद कर दिया जायेगा। नियुक्ति तिथि के 03 माह के भीतर निर्धारित पंजीकरण किया जाना अनिवार्य है।
- अधिक जानकारी के लिए फोन. न.:- 9837950068,9411725263,9411798098 या ई-मेल आईडी-sportsofficeruki@gmail.com पर संपर्क करें।



आवेदन का प्रारूप

जिला खेल कार्यालय, स्पोर्ट्स स्टेडियम, मनेरा, उत्तरकाशी
वर्ष-2021-2022 में कॉन्ट्रैक्ट प्रशिक्षक हेतु आवेदन-पत्र
आवेदन संख्या:-.....(केवल कार्यालय प्रयोग हेतु)



खेल का नाम जिस हेतु आवेदन किया जा रहा है :-.....

स्थानीय प्रशिक्षण शिविर संचालन का स्थान जहाँ के लिए आवेदन किया है।

:-.....

1:- आवेदक का नाम (हाई स्कूल प्रमाण पत्र के अनुसार)

(अ) हिन्दी में :-

(ब) अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में:-

2:- पिता/पति का नाम :- श्री.....

3:- माता का नाम:- श्रीमती.....

4:- जन्म तिथि (हाई स्कूल प्रमाण पत्र के अनुसार)

(अ) अकों में :-.....

(ब) शब्दों में :-.....

आयु दिनांक 05 अप्रैल, 2021 को आयु:-.....वर्ष.....माह.....दिन

आयु दिनांक 15 फरवरी, 2022 को आयु:-.....वर्ष.....माह.....दिन

5:- लिंग महिला/पुरुष :-.....

6:- आधार नम्बर:-.....

7:- स्थाई पता पिन कोड सहित :-.....

.....

.....

8:- पत्र व्यवहार का वर्तमान पता पिन कोड सहित:-.....

.....

.....

(अ) फोन न0(एस.टी.डी.कोड सहित).....(ब) मोबाइल नं0.....

9:- सेवायोजन कार्यालय का नाम.....(1) पंजीकरण संख्या एवं दिनांक.....

10:- संस्था/स्कूल/कार्यालय का नाम (केवल प्राइवेट संस्थाओं कर्मचारी/खिलाडी हेतु).....

(अ) पद का नाम.....(ब) संस्था का NOC की आदेश/पत्र संख्या एवं दिनांक

11:- शैक्षिक अर्हताओं का क्रमवार विवरण

क्र.सं.	परीक्षा का नाम	वर्ष	उत्तीर्ण श्रेणी
1	हाई स्कूल		
2	इण्टरमीडिएट		
3	इन.आई.एस. डिप्लोमा		
4	अन्य		

12:- खेल अर्हताओं का क्रमवार विवरण। उक्त कॉन्ट्रैक्ट प्रशिक्षकों की श्रेणी के अनुसार की विवरण दें।

क्र.सं.	प्रतियोगिता का नाम	वर्ष	अंक/स्थान
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			

13:- मैंशपथपूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि मुझे खेल विभाग की खेल प्रशिक्षण की सभी सेवा शर्तें मान्य हैं (विज्ञप्ति एवं अनुबन्ध

पत्र के अनुसार)। मेरे द्वारा आवेदन पत्र में दिये गये समस्त विवरण/सूचनायें सत्य एवं सही हैं तथा मैंने इस विवरण/सूचनाओं में कोई तथ्य नहीं छिपाया है। मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि इस आवेदन पत्र में भविष्य में यदि कोई विवरण/सूचनाएँ असत्य या गलत पायी जाय या कोई तथ्य मेरे द्वारा छिपाया जाना संज्ञान में आये तो मेरा अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाये। यदि नियुक्ति के उपरान्त ऐसी स्थिति प्रकाश में आयें तो मेरी सेवायें समाप्त कर दी जाय, साथ ही उक्त अवधि में मेरे द्वारा विभाग से प्राप्त मानदेय धनराशि को मैं वापस करूँगा/करूँगी। जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी मेरी होगी एवं मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। नियमित नियुक्ति के लिये मेरे द्वारा किया गया दावा अमान्य होगा।

11:-स्थान.....

दिनांक.....

12:-आवेदक के हस्ताक्षर.....

आवेदक का नाम.....

(आवेदक के हस्ताक्षर न होने पर आवेदन-पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।)

स्वयं प्रमाणित नवीनतम
पासपोर्ट फोटो यहाँ पर
चिपकाएं